



मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 4535 /MGNREGS-MP/NR-3/SE/2016,
प्रति,

भोपाल, दिनांक/2/05/ 2016

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला-समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत स्वीकृत लेबर बजट 2016-17 के वर्क प्रोजेक्शन में कृषि आधारित आजीविकामूलक एवं अभिसरण से ऑगनवाडी निर्माण कार्य शामिल होना सुनिश्चित करने बावत्।

संदर्भ :- 1. परिषद् का पत्र क्रं./3278/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2016 भोपाल, दि.02.04.2016।
2. विभाग का पत्र क्रं./3424/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2016 भोपाल, दि.06.04.2016।

—00—

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के (पत्र क्रं./L-15060/1/1/2016-MGNREGA-IV दिनांक 28.03.2016) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में न्यूनतम 60 प्रतिशत व्यय कृषि आधारित आजीविका मूलक कार्यों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, इस हेतु खेत तालाब, नाडेप/वर्मी कम्पोस्ट, ऑगनवाडी, सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्यों को ग्राम पंचायतों के वर्क प्रोजेक्शन में शामिल कर क्रियान्वित कराने एवं अपूर्ण कपिलधारा कूपों के कार्यों को प्राथमिकता से कराये जाने हेतु परिषद् के संदर्भित पत्र क्रं. 01 से निर्देश दिये गये हैं।

विभाग के संदर्भित पत्र क्रं. 02 द्वारा पुराने कार्यों को पूर्ण कराने एवं जल संरक्षण व जल संवर्धन तथा शासन की प्राथमिकता वाले अभिसरण के नवीन कार्यों को प्रारंभ करने हेतु प्रक्रिया तय की गई है। 11 मई 2016 की स्थिति में प्रदेश की 22824 ग्राम पंचायतों में से मात्र 8204 ग्राम पंचायतों में ही 26762 कार्यों में मस्टररोल जारी होना एमआईएस (R 6.15) में प्रदर्शित हो रहे हैं। जबकि एमआईएस (S 5.1) में कुल 4,29,474 प्रदर्शित अपूर्ण कार्यों में जल संरक्षण व जल संवर्धन के 35,374, पेय जल कूप के 3717, परंपरागत जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के 1963, खेत तालाब के 17290 तथा हितग्राहीमूलक कार्य 2,09,673 में कपिलधारा कूप के 72881 कार्य जिलों द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार अपूर्ण है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के विकास क्षेत्र में सूखे की स्थिति के दृष्टिगत इस वर्ष एक लाख Farm Pond (खेत तालाब) निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्त श्रेणी के कार्य वर्षाकाल प्रारंभ होने से अर्थात् 15 जून के पूर्व होने पर ही खेती के लिये सिंचाई, जल स्रोतों में पानी संग्रहण तथा भू-जल स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। अतएव जल संरक्षण व जल संवर्धन, खेत तालाब एवं कपिलधारा कूप के न्यूनतम एक लाख कार्य वर्षाकाल के पूर्व पूर्ण कराये जाने हेतु अभियान के रूप में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. परिषद् के संदर्भित पत्र क्र. 1 के साथ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित तालिका के क्रमांक 4 में प्रति ग्राम पंचायत 3 खेत तालाब लिये जाने के स्थान पर प्रति ग्राम पंचायत न्यूनतम 5 खेत तालाब ग्राम पंचायतों के वर्क प्रोजेक्शन में शामिल कराया जाकर विधिवत प्रारंभ कराये जावें।
2. ग्राम उदय से भारत उदय के दौरान 30 हजार से अधिक Farm Pond (खेत तालाब) के कार्य अब तक चिन्हित किये जा चुके हैं, अतः निजी हितग्राहियों को हितग्राही मूलक

कार्यों का लाभ दिये जाने हेतु "हितैषी" आवेदन पत्र प्रारूप में कृषकों से प्रस्ताव लेकर योजना के प्रावधान अनुसार प्रकरण स्वीकृत किये जावें।

3. जिन ग्राम पंचायतों में Farm Pond (खेत तालाब) के प्रगतिरत कार्यों की संख्या 5 से कम है, उनमें सबसे जरूरतमंद पात्र वर्ग के जॉबकार्डधारी कृषक परिवारों (SC, ST, BPL, FRA etc) को प्राथमिकता देते हुये प्रगतिरत खेत तालाब के कार्यों को मिलाकर उस कुल 10 कार्य क्रियान्वित किये जाने हेतु शेष नवीन कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ कराये जाने हेतु विभाग के संदर्भित पत्र क्र. 2 के बिन्दु क्र. 5 में 31 मई 2016 तक शिथिलता प्रदान की जाती है।

4. Farm Pond (खेत तालाब) के निर्माण हेतु 0.5 हेक्टे., 1 हेक्टे. एवं 1.5 हेक्टे. या अधिक हेतु इनलेट, आउटलेट एवं बंडिंग का प्रावधान किया जाकर संशोधित डिजाईन मार्गदर्शन हेतु संलग्न है। प्रत्येक स्थल पर 2x2 फुट (0.6mx0.6m) का पक्का सूचना फलक लगाया जावे।

तत्काल प्रभाव से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपूर्ण साध्य कार्यों में जॉबकार्डधारी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जावे। जिन ग्राम पंचायतों में औसतन प्रतिदिवस 50 श्रमिक कार्य पर नहीं आ रहे हैं उन ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सहायक "प्रिय मित्र" पत्र की तामिली कराकर ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित अपूर्ण कार्यों की जानकारी सक्रिय जॉबकार्डधारियों परिवारों को उनके घर जाकर देंगे। इस कार्यवाही से जरूरत मंद जॉबकार्डधारी श्रमिकों को उनके समीप के ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध हो सके तथा वर्षाकाल के पूर्व उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण हो सके। वनीकरण हेतु पौधरोपण का कार्य वर्षाकाल में प्रमुखता से किया जा सकता है, इसकी पूर्व तैयारी में गड्डे खुदाई, पौधों का चयन इत्यादि कार्य भी किया जा सकता है।

जल संरक्षण व जल संवर्धन के कार्यों के क्रियान्वयन की भौतिक प्रगति की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा सतत् रूप से की जा रही है। अतएव संलग्न प्रपत्र में जिले की प्रगति की साप्ताहिक जानकारी हार्ड कॉपी व साफ्ट कापी में प्रत्येक बुधवार को दोपहर 01 बजे तक भेजी जाना सुनिश्चित करें। समय पर जानकारी नहीं भेजे जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को उत्तरदायी माना जावेगा। मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् जिलों से प्राप्त जानकारी को संकलित कर प्रत्येक बुधवार को शाम 04 बजे तक प्रस्तुत करेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अलका उपाध्याय)

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 12/05/2016

पृ० क्रमांक/ 4536 / MGNREGS-MP/NR-3/SE/2016,

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल, म.प्र.।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
5. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
6. संभागायुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
7. राज्य समन्वयक, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन, विन्ध्याचल भवन, भोपाल म.प्र.।
8. प्रमुख अभियंता, ग्रा.या.सेवा, विन्ध्याचल भवन, भोपाल म.प्र.।
9. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रा.या.सेवा मण्डल म.प्र.।
10. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.सेवा संभाग म.प्र.।

प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी नरेगा – जल संरक्षण व संवर्धन से संबंधित कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक मॉनीटरिंग पत्रक

क्रं.	जिले का नाम	कुल ग्राम पंचायत	प्रगतिरत कार्यों वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यरत अकुशल श्रमिकों की संख्या	जल संरक्षण व संवर्धन के प्रगतिरत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कूपों की संख्या	प्रगतिरत खेत तालाबों की संख्या	कार्यों की संख्या जिनमें मस्टर जारी है।			
								जल संरक्षण व संवर्धन	कपिलधारा कूप	खेत तालाब	अन्य कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGAR-MALWA	227	102	9111	84	760					
2	ALIRAJPUR	288	179	16487	304	4436					
3	ANUPPUR	282	106	7654	1840	1233					
4	ASHOK NAGAR	334	103	5463	167	556					
5	BALAGHAT	688	338	44315	1117	1002					
6	BARWANI	416	121	10943	1311	3290					
7	BETUL	556	407	20536	2439	3880					
8	BHIND	447	105	6925	125	40					
9	BHOPAL	187	66	5018	44	709					
10	BURHANPUR	167	75	4505	973	1373					
11	CHHATARPUR	558	234	10265	906	2877					
12	CHHINDWARA	782	225	13213	1281	2836					
13	DAMOH	461	173	10367	562	1733					
14	DATIA	290	74	2747	57	126					
15	DEWAS	495	158	9481	466	1255					
16	DHAR	761	246	21987	3057	4514					
17	DINDORI	364	227	27900	1076	1952					
18	GUNA	425	119	7683	620	836					
19	GWALIOR	257	62	3674	62	25					
20	HARDA	213	39	1627	24	594					
21	HOSHANGABAD	426	57	1294	145	253					
22	INDORE	312	171	8116	402	249					
23	JABALPUR	516	120	4850	1454	208					
24	JHABUA	376	189	18997	1147	2212					
25	KATNI	407	87	6151	395	978					
26	KHANDWA	422	88	4757	391	2897					
27	KHARGONE	594	308	13173	1165	4053					
28	MANDLA	486	198	17670	660	1704					
29	MANDSAUR	440	171	6666	591	315					
30	MORENA	479	47	4459	211	21					
31	NARSINGHPUR	446	149	7561	519	398					
32	NEEMUCH	236	78	3572	134	368					
33	PANNA	395	129	7078	207	900					
34	RAISEN	498	200	10160	36	985					
35	RAJGARH	625	284	19036	371	4909					
36	RATLAM	418	308	21629	663	1772					
37	REWA	827	188	8648	471	961					
38	SAGAR	755	247	13121	597	1588					
39	SATNA	692	117	4766	329	1341					
40	SEHORE	497	134	7875	141	2557					
41	SEONI	645	124	5899	1759	910					

	SHAHDOOL	391	215	15318	1200	925					
	SHAJAPUR	326	74	5019	48	968					
44	SHEOPUR	225	83	9476	828	744					
45	SHIVPURI	600	109	8356	1271	754					
46	SIDHI	400	28	1535	428	797					
47	SINGRAULI	316	124	14267	795	329					
48	TIKAMGARH	459	201	11332	1097	1434					
49	UJJAIN	609	164	6516	175	1267					
50	UMARIA	234	47	3201	1147	1299					
51	VIDISHA	577	121	4118	82	758					
	Total	22827	7719	514517	35374	72881					

नोट :-1. कॉलम क्रमांक 01 से 05 तक की जानकारी MIS (R 6.15) एवं कॉलम क्रमांक 06 की जानकारी MIS (S 5.1) में प्रदर्शित होती है।

2. खेत तालाब (फार्म पोण्ड) की जानकारी का लिंक वेबसाइट का होम पेज State-works-more-works reports since inception-select-distri block-work category and work type

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत

महात्मा गांधी नरेश्वर - खेत तालाब (Farm pond) हेतु मार्गदर्शी प्राक्कलन

नीचे का क्षेत्रफल 20.00 मी. X 20.00 मी.
साइड स्लोप - 1.5 : 1

क.	आयटम क.	विवरण	सं.	लं	चौ.	ऊं.	मात्रा	ईकाई	दर	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		मिट्टी का काम (गहराई में 30 सेंमी., चौ. 1.5 मी. और क्षेत्र में 10 वर्ग मी. से अधिक) क्षेत्रों की खुदाई में 20 मी. दूर तथा 1.5 मी. तक ऊंचाई में खोदी हुई मिट्टी के निपटान और फेंकी हुई मिट्टी समतल करने तथा सफाई से दरेसी करने सहित								
	2502	क (III) अट्टक या नरम मिट्टी की खुदाई, तालाब के कार्य में (औसत लं. 20.00+11.00/2= 15.50 औसत चौ. 20.00+11.00/2= 15.50)								
1		ख (III) सघन या कठोर मिट्टी की खुदाई, तालाब के कार्य में	1	15.50	15.50	1.50	360.38	घ.मी.	65.50	23604.56
2		इनलेट एवं आउटलेट हेतु (L.S.)	1	15.50	15.50	1.50	360.38	घ.मी.	88.40	31857.15
3		स्लोपिंग भाग में घास लगाने हेतु (L.S.)								25000.00
4		पक्का सूचना फलक								2000.00
5							योग			3000.00
										85461.71

Say Rs. 0.85 लाख

- नोट :- 1 उक्त प्राक्कलन 01 हेक्टेयर भूमिधारिता हेतु उपयुक्त होगा। उपलब्ध स्थल एवं स्थानीय परिस्थिति के अनुसार खेत तालाब के साइज में समानुपातिक परिवर्तन किया जा सकता है।
2. इनलेट एवं आउटलेट का निर्माण हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक आवश्यकता एवं सलानन डिजाइन के अनुरूप कार्य संपादित किया जावे।
3. मार्गदर्शी प्राक्कलन जिला पंचायत भोपाल हेतु दिनांक 03.09.2015 से लागू जिला दर अनुसार किया गया है।

